राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1753/2012/भीलवाड़ा.

वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, भीलवाड़ा. .....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स ओम सिन्थेटिक्स, भीलवाड़ा. .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री जे. आर. लोहिया, सदस्य

उपस्थित : :

श्री जमील जई,
उप राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री अरिंजय जैन, अधिकृत प्रतिनिधि .....प्रत्यर्थी की ओर से.

दिनांक : 26/02/2014

निर्णय

यह अपील वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, भीलवाड़ा (जिसे आगे **'सक्षम अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा उपायुक्त (अपील्स) वाणिज्यिक कर विभाग, भीलवाड़ा (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील संख्या 59/वेट/2011–12 में पारित किये गये आदेश दिनांक 29.6.2012 के विरूद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सक्षम अधिकारी के वेट अधिनियम की धारा 76(6) के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 9.3.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सशक्त अधिकारी द्वारा दिनांक 24.01.2011 को मैसर्स संत कंवरराम ट्रांसपोर्ट कम्पनी अजमेर की चैकिंग में जी.आर. संख्या 36395 दिनांक 23.01.2011 संलग्न चालान संख्या 896 23.01.2011 की जांच में पाया कि उक्त दस्तावेजों से 17 कार्टन विस्कोस रियोन यान आयात किये गये हैं। सक्षम अधिकारी द्वारा उक्त माल से सम्बन्धित बिल/इन्वॉयस प्रस्तुत नहीं किये जाने से, माल परिवहन में वेट अधिनियम की धारा 76(2) के प्रावधानों का उल्लंघन मानते हुए धारा 76(6) के तहत शास्ति आरोपण हेतु नोटिस जारी किया गया। उक्त नोटिस की पालना में प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा बिल संख्या 101138, 101139, 101140 व 107313 दिनांक 24.01.2011 कुल कीमतन रूपये 2,52,882/– प्रस्तुत करते हुए जाहिर किया कि उनके द्वारा माल अप्रूवल हेतु आया था। अप्रूवल के पश्चात बिल जारी किये जाते हैं, जो कि सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दिये गये। सक्षम

लगातार.....2

अधिकारी द्वारा उक्त बिल चैकिंग के पश्चात जारी किये जाने के कारण, अस्वीकार करते हुए वेट अधिनियम की धारा 76(6) के तहत शास्ति रूपये 75,865/– एवं वैट रूपये 12,644/– आरोपित करने का आदेश दिनांक 9.3.2011 को पारित किया गया। प्रत्यर्थी द्वारा सक्षम अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 29.6.2012 से स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलार्थी विभाग द्वारा यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गयी है।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों को भली भांति विचारित किये बिना ही प्रत्यर्थी की अपील स्वीकार कर विधिक भूल की है। उनका कथन है कि परिवहनित माल के साथ कोई बिल/इन्वॉयस संलग्न नहीं था तथा उक्त तथ्य की प्रत्यर्थी द्वारा स्वीकारोक्ति भी की गयी है। जवाब के साथ प्रस्तुत किये गये बिल चैकिंग दिनांक के पश्चात जारी होने से अमान्य हैं। इस प्रकार प्रश्नगत संव्यवहार प्रथम दृष्टया करापवंचन की मंशा से किया जा रहा था। अतः वेट अधिनियम की धारा 76(2) के प्रावधानों का उल्लंघन होने के कारण सक्षम अधिकारी द्वारा धारा 76(6) के तहत शास्ति एवं वैट विधिसम्मत आरोपित किये गये थे, जिसे अपीलीय अधिकारी ने बिना उचित कारण के अपास्त कर त्रुटि की है। अतः अपीलीय आदेश अपास्त करने व अपील स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थी के विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि ने अपीलीय आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कि विवादित माल अप्रूवल हेतु आया था, जिसके अप्रूव होने पर बिल जारी किया जाना था, जो सक्षम अधिकारी के समक्ष नोटिस की पालना में प्रस्तुत कर दिये गये थे। विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा यह भी कथन किया कि वक्त जांच माल से सम्बन्धित बिल्टी व चालान प्रस्तुत कर दिये जाने से वेट अधिनियम की धारा 76(2) की पालना हो जाती है तथा धारा 76(6) की शास्ति आकर्षित नहीं होती है। अतः अपीलीय अधिकारी ने सक्षम अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति व वैट को अपास्त कर उचित आदेश पारित किया है। अतः अपील अस्वीकार किये जाने पर बल दिया।

लगातार.....3

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली से स्पष्ट होता है कि विवादित माल के साथ वक्त जांच बिल्टी एवं चालान संलग्न थे, जिनमें किसी प्रकार की त्रुटि होना सक्षम अधिकारी द्वारा अंकित नहीं किया गया है। सक्षम अधिकारी द्वारा शास्ति व वैट का आरोपण इस आधार पर किया गया है कि माल के साथ बिल/इन्वॉयस संलग्न नहीं है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय व माननीय राजस्थान कर बोर्ड द्वारा पारित विभिन्न न्यायिक निर्णयों में यह मत प्रतिपादित किया गया है कि वक्त जांच माल से सम्बन्धित बिल/इन्वॉयस संलग्न नहीं होने, किन्तु चालान संलग्न होने पर भी धारा 76(6) के तहत शास्ति का आरोपण विधिसम्मत नहीं है। जबकि प्रस्तुत प्रकरण में व्यवहारी द्वारा वक्त जांच बिल/इन्वॉयस संलग्न नहीं होने बाबत स्थिति स्पष्ट कर दी गयी थी एवं जवाब के साथ माल से सम्बन्धित बिल भी प्रस्तुत कर दिये गये थे। ऐसी स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति एवं वैट विधिसम्मत नहीं माने जा सकते एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा सक्षम अधिकारी का आदेश अपास्त किये जाने में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि किया जाना नहीं पाया जाता है।

परिणामस्वरूप अपीलार्थी राजस्व की अपील अस्वीकार की जाती है तथा अपीलीय आदेश दिनांक 29.6.2012 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(जे. आर. लोहिया)
सदस्य
26/2/14